भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2847
दिनांक 10 मार्च, 2026 / 19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

ड्रग माफिया के विरुद्ध विशेष अभियान

2847. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी को नशामुक्त बनाने के लिए ड्रग माफिया के विरुद्ध कोई विशेष अभियान/मुहिम चला रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभियान/मुहिम के तहत की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) की कुल संख्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या और जब्त किए गए कुल मादक पदार्थों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने उक्त अभियान के अंतर्गत मादक पदार्थों के तस्करों की संपत्तियों को जब्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या ऐसी किसी संपत्ति को बुलडोजर से ढहाया गया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) एवं (ख): जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से ड्रग माफिया के खिलाफ एक संकेंद्रित प्रवर्तन अभियान के रूप में "ऑपरेशन कवच" शुरू किया है, जिसके तहत दिनांक 13.05.2023 से 23.01.2026 तक, दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में कुल 12 ऐसे विशेष अभियान चलाए गए। इन अभियानों के अंतर्गत, 9,694 स्थानों पर छापेमारी कर स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत 851 और दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2009 के तहत 1,690 मामले दर्ज किए गए तथा कुल 2,640 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2847 दिनांक 10.03.2026

(ग): वर्ष 2023 से 2026 (15.02.2026 तक) के दौरान, दिल्ली पुलिस द्वारा ड्रग से सम्बंधित कुल 5,467 प्राथमिकी दर्ज की गई, 7,134 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया; और लगभग 17,435 किलोग्राम विभिन्न प्रकार के ड्रग्स जैसे चरस, अफीम, गांजा, स्मैक, हेरोइन, खसखस, कोकीन इत्यादि जब्त की गई।

(घ) और (ङ): दिल्ली पुलिस ने ड्रग तस्करों की कोई संपत्ति जब्त नहीं की है। तथापि, वर्ष 2023 से 2026 (15.02.2026 तक) के दौरान, दिल्ली पुलिस ने, स्थानीय निकायों के साथ मिलकर, ड्रग तस्करों की संपत्तियों को ढहाने के लिए कुल 29 संयुक्त अभियान चलाए हैं।

*****